



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 948) पटना शुक्रवार 7 अगस्त 2026

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2026

सं० 02/रेगु.-02-7003/2021/1524—राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों के व्यापक विकास, नई चीनी मिलों की स्थापना, किसानों की आय में वृद्धि तथा रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से "बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026" को मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति दी गयी है। गन्ना उद्योग विभाग द्वारा इससे संबंधित संकल्प संख्या-1231 दिनांक-25.06.2026 निर्गत किया गया है।

2. बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 में निवेशकों द्वारा समर्पित किये जाने वाले दावों की समीक्षा हेतु परियोजना अनुश्रवण समिति (PMC) गठित की गयी है, जिसे विभागीय अधिसूचना संख्या-1316 दिनांक-08.07.2026 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

विभागीय संकल्प संख्या-1231 दिनांक-25.06.2026 की कंडिका-7.3.2 के आलोक में कारखाने द्वारा व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ की तिथि संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:-

क्रमांक	पदनाम	स्थिति
I	संयुक्त निदेशक (ईख विकास), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
II	संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग विभाग	सदस्य
III	संबंधित जिला के श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग	सदस्य

3. नयी सुगर कॉम्पलेक्स (चीनी मिल/को-जेन/डिस्टीलरी/CBG) की स्थापना/कार्यरत चीनी मिलों का क्षमता विस्तार के उपरान्त समिति द्वारा निवेशकों से भविष्य में गन्ना उद्योग विभाग को अनुदान हेतु प्राप्त होने वाले दावों में कारखानों का व्यावसायिक उत्पादन की तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धर्मेन्द्र सिंह,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 948-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>